राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(22)ग्रावि/नरेगा/आधार/पार्ट–I/80830/2015 जयपुर, दिनांक : 14 JAN 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

[PLEASE READ CAREFULLY].

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजना के श्रमिकों की आधार सीडिंग भामाशाह पोर्टल पर किये जाने के संबन्ध में।**

महोदय,

मुख्य सचिव महोदय द्वारा आयोजना विभाग के **परिपत्र 15** (प्रति संलग्न) द्वारा निर्देश दिए गए है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित **"भामाशाह योजना" में चिन्हित योजनाओं** के लाभार्थियों की **आधार/ई.आई.डी. सीडिंग, बैंक खाता संख्या आदि का इन्द्राज केवल भामाशाह पोर्टल पर** ही सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित किये जा रहे "विशेष भामाशाह सीडिंग शिविर" में किया जावे। **महात्मा गांधी नरेगा योजना, भामाशाह योजना के तहत चिन्हित योजना है।** अतः मुख्य सचिव के निर्देशानुसार **महात्मा गांधी नरेगा योजना के लाभार्थियों की सूचना भी भामाशाह पोर्टल पर ही** इन्द्राज की जानी है।

इस संबन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

1. **कार्यक्रम अधिकारी सह विकास अधिकारी पंचायत समिति** द्वारा **प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सचिव/ग्राम रोजगार सहायक/कनिष्ठ लिपिक में से कम से कम एक कार्मिक** को महात्मा गांधी नरेगा के Active worker की आधार/ई.आई.डी. संख्या एवं बैंक खाता की सूचना एकत्र करने हेतु **नोडल कार्मिक नामित** किया जायेगा।

2. उक्त सूचना नरेगा सॉफ्ट पर उपलब्ध रिपोर्ट संख्या **R1.1.3 Total Number of Aadhar Nos./ EID Nos. entered for MGNREGA Workers in MIS** पर उपलब्ध है। इस रिपोर्ट से ग्राम पंचायतवार ऐसे श्रमिक जिनके आधार/ई.आई.डी. नम्बर नरेगा सॉफ्ट में इन्द्राज **नही** है, की सूची **(कॉलम संख्या 6 पर उपलब्ध हाईपर लिंक से)** प्रिन्ट की जाकर **पंचायत समिति पर कार्यरत एम.आई.एस. मैनेजर द्वारा** ग्राम पंचायत के **नोडल कार्मिक को** उपलब्ध करायी जायेगी।

3. **नोडल कार्मिक द्वारा प्रतिदिन औसतन 50 श्रमिकों की सूचना** एकत्र की जाकर इनकी सीडिंग **आयोजित किये जा रहे विशेष शिविर में** भामाशाह **पोर्टल पर आवश्यक रूप से करायी जायेगी।** ऐसे श्रमिक जिन्होंने **आधार हेतु पंजीकरण नही** कराया है, का **पंजीकरण इन शिविरों में कराया** जाकर इनकी **ई.आई.डी. नम्बर का इन्द्राज उसी समय भामाशाह पोर्टल पर** कराया जायेगा। इसी प्रकार जिन श्रमिकों के खाते **CBS enabled नही है,** के खाते **इन शिविरों में खुलवाये** जाकर इनका **इन्द्राज भी भामाशाह पोर्टल** पर किया जायेगा।

4. उक्त सूची में उपलब्ध सूचना में ऐसे श्रमिक जिनके **आधार नम्बर** का **Demographic verification किया जाना** है, की सूचना भी उपलब्ध है। ऐसे श्रमिकों का भी **आधार नम्बर नोडल कार्मिक द्वारा प्राप्त किया** जाकर इसका **Verification नरेगा सॉफ्ट पर** किया जावे।

5. **नोडल कार्मिक द्वारा आधार का लिंकेज** संबन्धित **श्रमिक के बैंक खाते के साथ** भी कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. कार्यक्रम अधिकारी सह विकास अधिकारी द्वारा **आधार नम्बर एवं बैंक खाते का लिंकेज सुनिश्चित** किया जायेगा।

7. पंचायत समिति स्तर पर **कार्यक्रम अधिकारी सह विकास अधिकारी** पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर **अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी** जिला परिषद द्वारा **प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग** की जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि **शिविर समाप्ति तिथि 28.02.2016 तक महात्मा गांधी नरेगा योजना के Active Workers की शत प्रतिशत सीडिंग भामाशाह पोर्टल** पर हो जाये।

इस संबन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि **भामाशाह एप्लीकेशन एवं नरेगा सॉफ्ट के लिंकेज का कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा चुका है अर्थात भामाशाह एप्लीकेशन पर इन्द्राज किये जाने वाले आधार नम्बर एवं बैंक खाता स्वतः ही नरेगा सॉफ्ट में प्रदर्शित हो जायेगा।**

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे एवं शिविर समाप्ति तिथि तक महात्मा गांधी नरेगा **योजना के Active Workers की शत प्रतिशत** प्रविष्टि भामशाह पोर्टल पर पूर्ण की जावे।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

14/1/16

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम महात्मा गांधी नरेगा समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/बाडमेर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।
4. रक्षित पत्रावली।

14/1/16

अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय, ईजीएस

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक-एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक- 07.01.2016

परिपत्र -15

सभी सरकारी योजनाओं के नकद व गैर-नकद लाभ चरणबद्ध रूप से भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से वितरित किए जाने हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नरेगा भुगतान, राशन वितरण, बी.पी. एल., जननी सुरक्षा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, पालनहार व अन्य योजनाओं के लाभ हस्तांतरण प्रारम्भ हो चुके हैं। इन योजनाओं के अतिरिक्त विभिन्न राजकीय योजनाएं जिनके माध्यम से नकद व गैर नकद लाभ व्यक्ति विशेष/परिवार को प्रदान किये जा रहे है, के लाभ भी भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से वितरित किए जाएंगे।

अतः यह आवश्यक है कि **विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भामाशाह प्लेटफॉर्म से जोडते हुए सीडिंग कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए।** इस संबंध में माह जनवरी, 2016 के प्रथम सप्ताह से सभी ग्राम पंचायत/ शहरी वार्डो में आयोजित किए जा रहे, भामाशाह सीडिंग शिविरों में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएः-

1. इन शिविरों में ग्राम पंचायत/ शहरी वार्डो के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का सीडिंग कार्य किया जाना है। साथ-साथ भामाशाह नामांकन से शेष लाभान्वितों को नामांकित कर सीडिंग भी की जाएगी। ये शिविर दिनांक 28 फरवरी,2016 तक सम्पन्न किए जाने है।
2. विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के सीडिंग कार्य मे लाभार्थी से भामाशाह नामांकन, आधार नामांकन, बैंक खाता संख्या तथा मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप से दर्ज किया जाना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नरेगा भुगतान, राशन वितरण (विशेष रूप से NFSA के लाभार्थी), पालनहार, छात्रवृत्ति के **सभी लाभार्थियों का सीडिंग कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाना है।**
3. इन शिविरों में अवितरित सभी भामाशाह कार्ड व रूपे कार्डो का वितरण तथा लाभार्थी जिनके खाते में लाभ हस्तांतरित हो चुके है, को माइक्रो एटीएम/बैंकिंग संवादकर्ता से लाभ हस्तांतरण (Transaction) भी सुनिश्चित किया जाए, जिससे सभी सम्बन्धित इस कम में जागरूक हो सके।
4. विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का सीडिंग कार्य केवल भामाशाह एप्लीकेशन पर किया जाना है, सम्बन्धित विभाग की एप्लीकेशन पर सीडिंग कार्य नही किया जाए। भामाशाह एप्लीकेशन पर सीडिंग उपरान्त डाटा विभागीय एप्लीकेशन में भी हस्तांतरित (Synchronized) कर दिया जाएगा।
5. सीडिंग शिविरों में निम्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएः-
   - ई-मित्र कियोस्क तथा आवश्यकतानुसार नामांकन एजेंसी की मशीनें मय आपरेटर
   - राशन डीलर यूनिट रजिस्टर सहित
   - आधार मशीन यदि आवश्यक हो
   - बैंकिंग सुविधा हेतु कॉ-आपरेटिव बैंक के साथ-साथ अन्य कोर समर्थ बैंक का प्रतिनिधि
6. इन शिविरों के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर शिविर से पूर्व व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए तथा **यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाए कि शिविर अवधि में ग्राम पंचायत/शहरी वार्ड क्षेत्र के सभी लाभान्वितों का नामांकन व सीडिंग कार्य पूर्ण हो जाए।**
7. शिविरों को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों को भी जोडा जाए।

8. भामाशाह योजना के विभिन्न चरणों यथा नामांकन कवरेज, भामाशाह कार्ड वितरण, विभिन्न योजनाओं की सीडिंग, एक्टिव रूपे कार्डो का वितरण, लाभार्थियों का माइको एटीएम/बैंकिंग संवादकर्ता से लेनदेन (Transaction) की विभिन्न स्तर के अधिकारियों के साथ साथ स्वंय जिला कलक्टर द्वारा भी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। जिला कलक्टर मॉनिटरिंग हेतु पंचायत स्तरीय वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा का भी उपयोग नियमित रूप से करें।

9. शिविरों की प्रगति संलग्न प्रारूप में साप्ताहिक रूप से शासन सचिव, आयोजना को जिला कलक्टर के हस्ताक्षर से प्रेषित की जाए।

10. समस्त विभागों के सम्बन्धित सचिव एवं विभागाध्यक्ष, स्वंय तथा अपने जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से, अपने विभाग के लाभान्वितों का नामांकन तथा सीडिंग कार्य शत–प्रतिशत पूर्ण कराने की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करेंगे।

11. प्रमुख शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग एवं समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी शहरी क्षेत्रों में उक्तानुसार कार्यवाही सफलतापूर्वक पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(सी. एस. राजन)
मुख्य सचिव

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक– 07.01.2016

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग/ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ वित्त विभाग/ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग/स्थानीय निकाय विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
4. विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. आयुक्त, नगर निगम, समस्त ....
11. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, समस्त जिला.............
12. एसीपी (उपनिदेशक), सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, समस्त जिला.............
13. उप/सहायक निदेशक, आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिला.............
14. उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी, समस्त ....
15. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/नगर पालिका, समस्त ....

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

Weekly Seeding Camp Progress Report   Date ....

S.No.	Name of District	Block/ULB	No. of GP/Urban Ward	No. of GP/Urban Ward where Beneficries Seeded more than 80% in PDS, NREGS & SSP
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				